हरिनारायण आदि — गीता देवी आदि प्र.स. 40/13

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 5-4-24 | पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलेंट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ........ पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.5.24 को पेश हों। | |
| 16.5.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस। दिनांक 5.6.24 को पेश हो। | |
| 5.6.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस। दिनांक 21.6.24 को पेश हो। | |
| 21.6.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस। दिनांक 3.7.24 को पेश हो। | |
| 03/07/24 | पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/7/24 को पेश हो। | |
| 18/7/24 | पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर | |

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 40/2013

1 हरिनारायण उम्र 59 वर्ष पुत्र जगदीश जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (फौत)।

1/1 पुष्पा देवी पत्नी हरिनारायण

1/2 मुकेश पुत्र हरिनारायण

1/3 कमलेश पुत्र हरिनारायण

1/4 सुमित पुत्र हरिनारायण

1/5 सुनिता पुत्री हरिनारायण

समस्त जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

2 सीताराम उम्र 51 वर्ष पुत्र जगदीश जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमू जिला जयपुर।

2 श्रीमती गायत्री देवी पुत्री श्री चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमू जिला जयपुर।

3 शंकरलाल पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमू जिला जयपुर।

4 रमेश पुत्र श्री जगदीश जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5 कैलाश पुत्र श्री जगदीश जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 श्रीमती बिमला पुत्री श्री जगदीश जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 श्रीमती विद्या पुत्री श्री जगदीश जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 श्रीमती मुन्नी पुत्री श्री जगदीश जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
9 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर प्रकरण श्रीमती गीतादेवी वगै. बनाम रमेश वगै. मु.नं. 400/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.2013

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भूमि प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

## –निर्णय–

दिनांकः– 18.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा 400/2012 में पारित निर्णय दिनांक 02.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम मंडूस्या की भूमि खसरा नम्बर 1097, 1098 के संदर्भ में अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 20.02.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 7 की ओर से वकील उपस्थित होने पर आगामी पेशी दिनांक 26.03.2013 नोट कराई गयी थी जिसे बाद में काट छांटकर दिनांक 06.03.2013 बना दी गयी जिसके बाबत वकील प्रतिवादी को नोट नहीं करवाया गया दिनांक 26.03.2013 को न्यायालय में अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस दिनांक 28.03.2013 को अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रकरण की पैरवी हेतु उपस्थित होने पर पता चला कि दिनांक 26.03.2013 की बजाय इस पत्रावली की तारीख में काट छांटकर दिनांक 06.03.2013 नियत कर दी गयी थी दिनांक 06.03.2013 की समस्त पत्रावलियों में एक साथ तारीख दिनांक 14.03.2013 दी गयी थी तथा दिनांक 14.03.2013 को समस्त पत्रावलियों में एक साथ तारीख दिनांक 25.04.2013 दी गयी थी जिससे अपीलान्ट के वकील आश्वस्त थे कि आगामी पेशी दिनांक 25.04.2013 ही है लेकिन अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के द्वारा गांव में दिनांक 23.04.2013 को बताने पर की फैसला हो चुका है अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता को इसकी सूचना दी जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दिनांक

...ारी एव
भू-प्रबन्ध ...पील अधिकारी
पदेन रा... सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

24.04.2013 को पत्रावली में मालुम किया तो पता चला की पीठासीन अधिकारी द्वारा गुपचुप में दिनांक 02.04.2013 को ही निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना, साक्ष्य सुनवाई किये बिना, तनकीवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.02. 2013 को पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 7 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किये जाने का अंकन है। इस आदेशिका में आगामी तिथि 26.03.2013 अंकित है। इसी आदेशिका के साईड में 06.03.2013 अंकित की हुई है। आगामी तिथि 06.03.2013 को कार्य बहिष्कार का अंकन करते हुए आगामी तिथि 02.04.2013 नियत की हुई है। 02.04.2013 को विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना तामील पूर्ण करवाये बिना उपस्थित अधिवक्तागण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उसी दिन वादी की साक्ष्य प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचाराधीन निर्णय रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना में पृथक से दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर अंकित किये बिना केवल मात्र आदेशिका में जारी किया गया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सम्मत नहीं मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण की सम्यक तामील के उपरांत जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
मु. प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर